न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2021 (उदयपुर आर्डर)

1. हीरालाल पिता नाथू जी जाट, निवासी भाण्डावास, (चंगेडी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. रामचन्द्र पिता नाथू जी जाट, निवासी भाण्डावास, (चंगेडी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. शंकरलाल पिता नाथू जी जाट, निवासी भाण्डावास, (चंगेडी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. मोहनलाल पिता नाथू जी जाट, निवासी भाण्डावास, (चंगेडी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. तोलीराम पिता नाथू जी जाट, निवासी भाण्डावास, (चंगेडी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नारायण पिता कालू जी जाट, निवासी भाण्डावास, (चंगेडी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. हीराबाई पत्नी नारायणलाल जी जाट, निवासी भाण्डावास चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. भगवतीलाल पिता नारायणलाल जी जाट, निवासी भाण्डावास चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. देवीलाल पिता नारायणलाल जी जाट, निवासी भाण्डावास चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. जगदीश पिता नारायणलाल जी जाट, निवासी भाण्डावास चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. छोगालाल पिता कालू जी जाट, निवासी भाण्डावास, (चंगेडी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. गणेश पिता कालू जी जाट, निवासी भाण्डावास, (चंगेडी), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पटवारी, पटवार हल्का चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)मावलीदिनांक 29.01.2021 प्रकरण संख्या 10/20

———::———

उपस्थित :– 1–श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्टगण

2–श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रे.सं.1 से 3

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक04–07–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3द्वाराएक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम भाण्डावास में परिशिष्ट ''अ'' वर्णित आराजी नंबर 2842 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं 2908 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व हमारी बहन मांगी व माता तुलसीबाई के नाम 5/8 हिस्सा एवं हम प्रार्थीगण के नाम 3/8 हिस्सा अनुसार अंकित है। तुलसीबाई का निधन हो चुका है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 2919 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व हमारी बहन मांगी व माता तुलसीबाई के नाम 5/12 हिस्सा, हम प्रार्थीगण के नाम 3/12 हिस्सा तथा नाथू पिता देवा के नाम 1/3 हिस्सा अंकित है। नाथू का निधन हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हैं। इसी प्रकार परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 2841 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 2907 रकबा 17 बिस्वा, 2910 रकबा 4 बीघा एवं 2921 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है।

उपरोक्त परिशिष्ट ''अ'' की आराजियात में से आराजी नंबर 2908 में आवागमन के लिए रास्ता मुख्य रास्ते के सटमा पश्चिम दिशा में स्थित बिलानाम भूमि से होते हुए आगे स्थित आराजी नंबर 2907 रकबा 17 बिस्वा किस्म रास्ता में बना हुआ है, जो करीब 12 फिट चौड़ा है, जिससे होकर हम प्रार्थीगण हमारी आराजी नंबर 2908 में आवागमन करते हैं तथा किस्म रास्ता आराजी नंबर 2907 के पश्चिम मुहाने के आगे हमारी संयुक्त खातेदारी आ.चा. 2840 स्थित हैं, जहां से पाईप के जरिये पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी आराजी नंबर 2919 एवं 2908 में पिलाई होती है। परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित आराजी नंबर 2919 में आवागमन के लिए रास्ता मुख्य रास्ते के सटमा पश्चिम दिशा में स्थित बिलानाम भूमि से होते हुए आगे स्थित आराजी नंबर 2907 रकबा 17 बिस्वा किस्म रास्ता में होते हुए रास्ते के सटमा उत्तरी दिशा में स्थित परिशिष्ट ''स'' में वर्णित विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी नंबर 2910, 2921 की पश्चिमी पाली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

बना हुआ है, जो रास्ता करीब 12 फिट चौड़ा है, जिससे होकर हम प्रार्थीगण हमारी आराजी नंबर 2919 में आवागमन करते हैं। परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित आराजी नंबर 2842 में आवागमन के लिए रास्ता मुख्य रास्ते से सटमा पश्चिम में स्थित बिलानाम भूमि से होते हुए आगे स्थित आराजी नंबर 2907 में होते हुए हम प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 2840 के फेरे से होते हुए परिशिष्ट ''स'' में वर्णित विपक्षी संख्या 1 से 5 क आराजी नंबर 2841 की उत्तरी पाली पर बना हुआ है जो करीब 12 फिट चौड़ी है, जिससे होकर हम प्रार्थीगण हमारी आराजी नंबर 2848 में आवागमन करते हैं तथा इसी रास्ते से सटमा कुंए से हमारी भूमि तक पानी का धोरा बना हुआ है, जिससे हम अपनी जमीन की पिलाई करते हैं। उक्त परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' में वर्णित कृषि भूमियों पर हम प्रार्थीगण हमारे पूर्वजों के समय से प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2, 3, 4 में वर्णित हिस्से अनुसार रास्ते से सदीप से आवागमन करते हैं तथा इसी रास्ते से खाद, बीज, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि ले जाते हैं। प्रार्थीगण के खातेदारी में आने–जाने का एक मात्र यही रास्ता है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने दिनांक 23–06–2020 को कांटों की छडिया डालकर बन्द कर प्रार्थीगण के आवागमन को रोक दिया, जिसे नायब तहसीलदार सनवाड़ द्वारादिनांक 01–07–2020 को पुनः खुलवाया गया, किन्तु पुनः कुछ दिन बाद विपक्षीगण ने आवागमन को बन्द कर दिया, जिसे उप जिला कलक्टर मावली द्वारा पुनः खुलवा दिया गया एव ंहम प्रार्थीगण उक्त रास्ते का शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग करने लगे, किन्तु विपक्षीगण ने पुनः रास्ता बन्द कर दिया। अतः परिशिष्ट ''स'' में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम अंकित आराजी नंबर 2907 किस्म रास्ता को बिलानाम किस्म रास्ता अंकित किया जाकर 12 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। साथ ही विपक्षी संख्या 1 से 5 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को अवरूद्ध नहीं करें तथा किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने सभी आवश्यक खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल खातेदार को अपनी जमीन के उपयोग–उपभोग करने में रास्ते से संबंधित कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इस कारण इस अधिनियम के तहत प्रत्येक खातेदार को निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर रास्ते का प्रावधान किया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण [illegible] वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लम्बा होने के कारण नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक29–01–2021 सेप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 12 फिट चौड़े रास्ते का आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 5 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–07–2021 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री तुलसीराम डांगी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करअभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–01–2021 को निर्णय होने के बाद अपीलान्टगण द्वारा आदेश 41 नियम 1 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, किन्तु लाकडाउन के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। इसलिए आदेश 41 नियम 1 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं हो सका तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 06–07–2021 को विड्रो कर लिया गया, जिस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका वह वर्षो से उपयोग करते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष उक्त वैकल्पिक रास्ते बाबत् कथन किया था, किन्तु तहसीलदार ने इस ओर कोई गौर नहीं किया। आराजी नंबर 2919 का 1/3 हिस्सा अपीलान्ट के पिता द्वारा करीब 35–40 वर्षो पूर्वक्रय किया गया तब से वे काबिज हैं तथा इसी आराजी में 2/3 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट का है, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट काबिज हैं। रेस्पोन्डेन्ट सख्या 1 से 3 आराजी नंबा 2933 रकबा 0.7770 हैक्टर से वर्षो से आ जा रहे है एवं उनके पास वैकल्पिक रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध है और उनके खेत भी वैकल्पिक रास्ते के पास पड़ते हैं। केवल मात्र अपीलान्टगण को जलील व परेशान करने की गरज से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो वहां धारा 251 (क) का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय नेतहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित रास्ते को न्यूनतम दूरी का रास्ता मानते हुए कीमतन रास्ता उपलब्ध कराया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उक्त उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि कमिश्नर रिपोर्ट में अपीलान्ट की आराजियात तक आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता, सबसे सुगम व न्यूनतम दूरी का रास्ता बताया गया है। अपीलान्टगण/विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ता होता बताया है, परन्तु अपीलान्टगण/विपक्षीगण द्वारा रास्ते के खसरा नंबर या कोई नक्शा ट्रेस इत्यादि पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण के पास उनकी आराजियात तक आने–जाने का सुगम व न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रेकार्डेड रास्ता उपलब्ध हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया है। निर्णय से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजों व तथ्यों पर गौर किया गया है। अपील मेमों के कथनों को अपीलान्टगण साबित करने में असफल रहे हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–01–2021यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 04–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested